कार्यालय पुलिस आयुक्त जयपुर

कमांक : 127 दिनांक 26/2/14

जिला स्टीयरिंग एण्ड कार्डिनेशन कमेटी (तम्बाकू नियन्त्रण) मिटिंग मिनट्स दिनांक 19.02.14

राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यकम , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार व राज्य सरकार के अन्तर्गत संचालित जिला तम्बाकू नियन्त्रण कार्यकम जयपुर के तहत भारतीय तम्बाकू नियन्त्रण कानून – **"सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003"** के प्रावधानों की अनुपालनार्थ **धारा–4,5,6 व 7** की प्रभावी कियान्विति के कम में दिनांक 19.02.14 को पुलिस आयुक्त, जयपुर, **श्री जंगा श्रीनिवास राव की अध्यक्षता** में पुलिस आयुक्तालय जयपुर के सभागार कक्ष में जिला स्टीयरिंग एवं कॉर्डिनेशन कमेटी की वित्तिय वर्ष 2013 –14 की तृतीय बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में पुलिस,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों से कमेटी सदस्य अधिकारियों तथा तम्बाकू नियन्त्रण क्षेत्र में कार्यरत एन.जी.ओ के प्रतिनिधि सदस्यों ने भाग लिया। मीटिंग में ***"कोटपा 2003"*** के प्रभावी कियान्वन , जागरूकता तथा निगरानी प्रकिया पर चर्चा की गई एवं कार्य प्रगति की समीक्षा की गई।

उक्त बैठक में निम्नानुसार अधिकारीगण व सदस्यों द्वारा भाग लिया :–

1. श्री जंगा श्रीनिवास राव , पुलिस आयुक्त जयपुर – अध्यक्ष
2. श्री बिपिन कुमार पाण्डेय, अति. पुलिस आयुक्त जयपुर प्रथम – उपाध्यक्ष
3. श्री नारायण टोगस, अति.पुलिस उपायुक्त (अपराध) एवं नोडल अधिकारी आयुक्तालय – सदस्य
4. डॉ. नरोत्तम शर्मा, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) जयपुर प्रथम – सदस्य
5. श्री राजेश सिंह, अति.पुलिस उपायुक्त, जयपुर(उत्तर द्वितीय) – सदस्य प्रतिनिधि
6. श्री नरेन्द्र सिंह मीणा, अति.पुलिस उपायुक्त, जयपुर(पश्चिम) – सदस्य प्रतिनिधि
7. श्री नरेश कुमार , सहायक पुलिस आयुक्त , जयपुर (पूर्व) – सदस्य प्रतिनिधि
8. श्री बाबूलाल जोशी , सहायक पुलिस आयुक्त , (यातायात) – सदस्य प्रतिनिधि
9. डॉ.राजेश कुमार व्यास जन सम्पर्क अधिकारी,पुलिस आयुक्तालय – सदस्य
10. श्री अशोक कुमार , अति. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) प्रथम – सदस्य प्रतिनिधि
11. श्री धर्मवीर कटेवा, सचिव, इंडियन अस्थमा केयर सोसायटी जयपुर – सदस्य
12. डॉ. राकेश गुप्ता, प्रेसिडेन्ट , राजस्थान कैंसर फाउण्डेशन , जयपुर – सदस्य
13. श्री सूर्यप्रताप सिंह, सचिव, श्री अरविन्दो सोसायटी, जयपुर – सदस्य
14. श्री अमरदीप सिंह , सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर, कट्स कार्ट , जयपुर – सदस्य
15. श्री विकम राघव., पी.डी. ,आर.वी.एच.ए. ,जयपुर–सदस्य ।
16. श्री शिशिर कुमार , कार्यकम प्रबन्धक, एस.आर.के.पी.एस. ।
17. श्री बनेसिंह, उपनिरीक्षक, जयपुर ग्रामीण ।
18. श्री बाल सिंह बैस, साईकोलोजिस्ट,जिला तम्बाकू नियन्त्रण सैल,जयपुर।
19. श्रीमती नीरजा कुन्तल,सोशियल वर्कर, जिला तम्बाकू नियन्त्रण सैल,जयपुर।

बैठक का शुभारम्भ पुलिस आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय ने सभी सहभागियों का स्वागत करते हुए अपने उद्बोधन से किया। सर्वप्रथम उन्होने कोटपा 2003 की धारा 4 5 6 व 7 के प्रावधानों की कियान्विति एवं कार्य प्रगति के बारे में जानकारी ली । श्री नारायण टोगस , अति.पुलिस उपायुक्त (अपराध) ने बैठक के उद्देश्य के बारे में बताया तथा विभागीय कार्यवाहीयों के बारें में अध्यक्ष महोदय एवं सभी को अवगत कराया । जिला तम्बाकू नियन्त्रण सैल से श्री बाल सिंह बैस ने विगत बैठक में लिए गये मुख्य निर्णयों की अनुपालना में की गई कार्यवाहियों के बारे में कार्य प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

बैठक में लिए गये मुख्य निर्णय –

1. कोटपा 2003 की धारा 4 व 6 पर चालान की कार्यवाही में आई कमी को दूर कर सभी विभागो द्वारा कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाये जाने का निर्णय लिया गया तथा कानून द्वारा निर्धारित धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले बोर्डो का प्रदर्शन अधिकाधिक करवाये जाने पर जोर दिया गया।
2. कोटपा 2003 की धारा–5 तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध के उल्लघंन पर सिगरेट/तम्बाकू कम्पनियों के प्रदर्शित तम्बाकू उत्पाद वाले अवैध विज्ञापन बोर्ड हटवाने का निर्णय लिया गया । विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शित बोर्ड हटवाने की चर्चा की।
3. सभी विभागो एवं नागरिक समाज संगठनों द्वारा तम्बाकू सेवन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों पर जन जागरूकता लाने एवं कोटपा 2003 कानून के प्रभावी रूप से कियान्वयन, लागू तथा निगरानी करने हेतु सामूहिक रूप से प्रचार–प्रसार का कार्य किये जाने पर निर्णय लिया गया ।
4. कोटपा की धारा 6 बी के अनुसार विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पादों के बिकी पर रोक सम्बंधित कार्यवाही एवं सम्बन्धित बोर्ड लगवाये जाने का निणर्य लिया गया एवं स्कूलों में विभिन्न स्लाइड्स के माध्यम से विद्यार्थियों को तम्बाकू नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य खतरो से सम्बन्धित जागरूकता लाने का निर्णय लिया गया ।
5. सिनेमा हॉल में फिल्म के प्रदर्शन से पूर्व एवं मध्य में तम्बाकू सेवन के स्वास्थ्य खतरों वाली स्लाइड आवश्यक रूप से दिखाई जाने के कम में प्रदर्शन करवाने का निर्णय लिया गया।
6. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अखबार में कोटपा 2003 के प्रावधानो एवं तम्बाकू सेवन के स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता हेतु जन सूचना (पब्लिक नोटिस) जारी करवाने का निर्णय लिया गया , इस कम में आवश्यक बजट आवंटन हेतु निदेशालय को पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया।
7. तम्बाकू नियन्त्रण जागरूकता हेतु स्वास्थ्य खतरों आधारित पोस्टर्स सार्वजनिक स्थलों यथा पुलिस थानों , शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों इत्यादि पर अधिक से अधिक प्रदर्शन करवाये जाने का निर्णय लिया गया , जिससे तम्बाकू उत्पादों से होने वाले नुकसानों का अधिकाधिक प्रचार हो।
8. होटल्स में कानूनी मापदण्डानुसार धूम्रपान क्षेत्र(स्मोकिंग जोन) अलग से बनाये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया।

9. तम्बाकू मुक्ति उपचार केन्द्र के बारे में जानकारी हेतु प्रचार प्रसार करवाये जाने का निर्णय लिया गया तथा तम्बाकू उत्पादों का सेवन छोडने वाले लोगो के अनुभव आधारित लघुफिल्मों के निर्माण एवं प्रदर्शन कर इस दिशा में जागरूक किये जाने पर जोर दिया गया ।

अति. पुलिस आयुक्त जयपुर प्रथम श्री विपिन कुमार पाण्डेय ने कहा कि तम्बाकू नियन्त्रण अभियान के लिए प्रभावी रूप में कार्य किया जाएं । उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं में इस सम्बन्ध में कार्यशालाओ के आयोजन ,युवा जागरूकता एवं पुलिस द्वारा कानून के उल्लंघन पर त्वरित कार्यवाही किये जाने पर जोर दिया ।

राजस्थान कैंसर फाउन्डेशन से आये डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि धारा–5 के उल्लंघन वाले 80 प्रतिशत विज्ञापन बोर्ड हटे है , लेकिन दुकानों पर नये तरीके के बोर्ड कंपनियो ने लगवा दिये है , उन्हे हटवाया जाना चाहिए ।

श्री सूर्य प्रताप सिंह राजावत, सचिव श्री अरविन्दो सोसायटी ने कहा कि सिनेमा हॉल में तम्बाकू आधारित स्वास्थ्य चेतावनी कम दिखाई जा रही है तथा एफ एम रेडियों पर जो पान मसाला सम्बन्धी विज्ञापन आते हैं उनमें वैधानिक चेतावनी की फ्रीक्वेन्सी बहुत अधिक होती है । अतः तम्बाकू सम्बन्धित हैल्थ वार्निंग देते समय उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए । उन्होंने बताया कि कोटपा की धारा 6 अ एवं ब के उल्लंघन पर चालान की कार्यवाही कर ,बोर्ड प्रदर्शन सम्बन्धी अनुपालना करवाने की आवश्यकता है एवं धारा 5 के उल्लंघन वाले विज्ञापन बोर्ड को हटवाने के पुनः प्रयास करने चाहिए तथा जनजागरूकता के प्रयास किये जाये ।

इंडियन अस्थमा केयर सोसायटी के सचिव श्री धर्मवीर कटेवा ने सभी पुलिस थानों पर स्वयं के खर्चे पर तम्बाकू जागरूकता सम्बन्धी होर्डिंग्स लगाने के बारे में चर्चा की । उन्होने कहा कि 500 होर्डिंग्स अगर जयपुर शहर में लग जाए तो इससे अधिकाधिक जागरूकता आएगी । यदि नगर निगम से निःशुल्क जगह उपलब्ध करवा दी जाए तो होर्डिंग्स लगवा दिये जायेंगे ।

श्री विकम राघव परियोजना निदेशक, आर.वी.एच.ए. ने बताया कि जयपुर में अन्य जिलों की तुलना में अधिक कार्य हो रहा है , लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पीछे है । अतः इस क्षेत्र में भी कार्य करने की आवश्यकता है ।

डॉ. नरोत्तम शर्मा, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), जयपुर प्रथम ने कहा कि विद्यालयों में तम्बाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के बारे में कार्य करवाये जायेंगे एवं सभी डिस्पेन्सरी में तम्बाकू जागरूकता वाले पोस्टर्स लगवाये जायेंगे।

अति. जिला शिक्षा अधिकारी , माध्यमिक प्रथम श्री अशोक कुमार ने बताया कि विद्यालयों में बोर्डस लगवाये गये हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हट जाते है या उनको हटा दिया जाता है । इस कम में और अधिक अनुपालना करवाई जायेगी ।

जिला तम्बाकू नियन्त्रण सैल से काउन्सलर बाल सिंह बैस ने कहा कि जयपुर में तम्बाकू नियन्त्रण कानून के कियान्वयन के लिए अच्छे प्रयास हुए हैं एवं आगे भी समस्त विभागों का सहयोग लेकर प्रभावी कार्यवाही की जाती रहेगीं ।

इस प्रकार तम्बाकू नियन्त्रण जिला स्टीयरिंग एवं कार्डिनेशन कमेटी की बैठक उपरोक्तानुसार लिये **गये निर्णयों** एवं चर्चा सहित सफलतापूर्वक सम्पादित की गई । पुलिस आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित **सदस्यों** व अधिकारीगण का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न की गई।

(जंगा श्रीनिवास राव)
पुलिस आयुक्त एवं अध्यक्ष
स्टीयरिंग एण्ड कार्डिनेशन कमेटी (तम्बाकू नियन्त्रण)
जयपुर

कमांक : टी०क०/14/127 दिनांक :– 26/9/2014

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,राज. जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक(राजपत्रित) एवं स्टेट नोडल अधिकारी(तम्बाकू नियन्त्रण)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. ।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर जोन जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जयपुर।
5. जिला नोडल अधिकारी (टी०क०) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम एवं सदस्य सचिव
6. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर उत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम/यातायात/ग्रामीण ।
7. समस्त सहभागी सदस्यगण शिक्षा ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व अन्य विभाग.........................
8. कार्यालय प्रति।

पुलिस आयुक्त एवं अध्यक्ष
स्टीयरिंग एण्ड कार्डिनेशन कमेटी (तम्बाकू नियन्त्रण)
जयपुर